IV ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन

वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक ने अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित समाज के वर्गों को औपचारिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के अपने प्रयासों को और तीव्र किया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) और वित्तीय समावेशन के संबंध में मध्यावधि पथ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन जैसे उपायों से देश में वित्तीय समावेशन को और अधिक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने देश भर में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सक्षम और विस्तृत ऋण वितरण प्रणाली की स्थापना करने पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों, विशेषतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), क्षेत्र में ऋण प्रवाह के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में प्रयास किए गए। एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के संबंध में केवल कौशल विकास के उद्देश्य से बैंकरों की क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वित्तीय समावेशन के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है, जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का आगे मार्ग प्रशस्त करेगी। रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) नोडल विभाग है।

2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण

IV.2 वर्ष 2015-16 के दौरान, पीएसएलसी को, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को अधिक ऋण[1] देने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करने की एक प्रणाली के रूप में लागू किया गया था और इस प्रकार इन क्षेत्रों में ऋण को बढ़ावा दिया गया (बॉक्स IV.1)। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की तरह ही, पीएसएलसी, बाजार प्रणाली को, विभिन्न बैंकों की तुलनात्मक मजबूती का लाभ उठाते हुए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करेगा। ट्रेडिंग के उद्देश्य से अप्रैल 2016 में इस कार्य के लिए एक समर्पित पोर्टल का शुभारंभ किया गया। वितीय समावेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए दिसंबर 2015 में आरआरबी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया और उनके लिए कुल बकाया ऋण का 75% प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को देने का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए पहल

IV.3 अगस्त 2015 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की अपनी मौजूदा नीति की समीक्षा करें और मीयादी ऋणों, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमा, नियमित कार्यशील पूंजी सीमा की मध्यावधि समीक्षा और ऋण संबंधी निर्णयों की समय-सीमा के मामले में स्टैंड-बाई ऋण सुविधाओं की अनुमति देकर उन्हें ठीक करें। एमएसएमई खातों में दबाव को कम करने के लिए सरल एवं तेज व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के पुनरुद्धार और पुनर्वास की रूपरेखा' की अधिसूचना के उपरांत, रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2016 को संबंधित दिशा-निर्देशों के साथ-साथ परिचालन अनुदेश जारी किए। इस रूपरेखा के अंतर्गत

[1] उदाहरण के लिए, छोटे किसानों को ऋण देने में विशेषज्ञता रखने वाला कोई बैंक इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर सकता है और पीएसएलसी के जरिए अपने उत्कृष्ट निष्पादन से लाभ उठा सकता है।

बॉक्स IV.1
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी)

अप्रैल 2016 में पीएसएलसी की योजना प्रारंभ की गई थी। रिजर्व बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) के माध्यम से इन प्रमाण-पत्रों की ट्रेडिंग करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान किया है। सभी वाणिज्यिक अनुसूचित बैंक (आरआरबी सहित), शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक (जब कभी उनका परिचालन प्रारंभ होता है) और स्थानीय क्षेत्र बैंक ट्रेडिंग में भाग लेने के पात्र हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में से कुछ इस प्रकार हैं:

- चार प्रकार की पीएसएलसीः कृषि, लघु और सीमांत किसान (एसएफ/एमएफ), सूक्ष्म उद्योग और सामान्य को इस प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है।
- इन प्रमाण-पत्रों का मानक लॉट आकार ₹2.5 मिलियन और उसके गुणज के रूप में होगा।
- इसमें आधार आस्तियों का ऋण जोखिम हस्तांतरित नहीं होता है क्योंकि इसमें मूर्त आस्तियों या संगत नकदी प्रवाह का किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं होता है।
- बैंकों को अपनी बहियों में कोई अन्तर्निहित प्रविष्टि किए बिना पिछले वर्ष की प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण उपलब्धि के 50 प्रतिशत तक पीएसएलसी जारी करने की अनुमति होगी।
- इसमें कमी की सीमा तक बैंकों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)/ अन्य निधियों में निवेश करने की जरूरत पड़ सकती है।
- किसी उप-लक्ष्य (उदाहरण के लिए एसएफ/एमएफ, सूक्ष्म उद्यम) को पूरा न कर पाने वाले बैंक को उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशिष्ट पीएसएलसी खरीदना होगा। तथापि, यदि कोई बैंक समग्र लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया है तो वह कोई भी पीएसएलसी खरीद सकता है।
- पीएसएलसी, रिपोर्टिंग की तारीख (31 मार्च) के बाद वैध नहीं होगा, फिर चाहे उसकी पहली बिक्री कभी भी हुई हो।
- किसी बैंक की प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण उपलब्धि की गणना प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के बकाया कुल ऋण एवं जारी की गई और खरीदी गई पीएसएलसी के निवल सांकेतिक मूल्य के रूप में की जाएगी। यह गणना अलग से की जाएगी, जिसमें उप-लक्ष्य, रिपोर्टिंग की तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट होंगे।

₹250 मिलियन की ऋण सीमा वाली एमएसएमई इकाइयों का पुनरुद्धार और पुनर्वास किया जाएगा। बैंकों को भी इस रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए 30 जून 2016 तक उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करनी होगी।

IV.4 बैंकों के फील्ड-स्तर के अधिकारियों में उद्यम संबंधी संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे के सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र के वित-पोषण के लिए बैंकर क्षमता निर्माण राष्ट्रीय मिशन (एनएएमसीएबीएस) का शुभारंभ किया है। इसकी शुरूआत से अब तक एनएएमसीएबीएस के अंतर्गत लगभग 3000 बैंकरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

प्राकृतिक आपदाएं और पॉलिसी प्रतिक्रिया

IV.5 सरकार द्वारा किसानों को इनपुट सब्सिडी (क्षतिपूर्ति) प्रदान करने के मापदंड में फसल हानि स्तर को 50 प्रतिशत से 33 प्रतिशत करने के संशोधन के उपरांत राज्य स्तरीय बैंकर समितियों / जिला स्तरीय परामर्शी समितियों/ बैंकों को, फसल हानि 33 प्रतिशत या उससे अधिक होने की स्थिति में, ऋण अवधि को पुनर्निधारित करने पर विचार करने की अनुमति प्रदान की गई। यदि फसल हानि 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच हो तो बैंकों को ऋण चुकाने के लिए अधिकतम दो वर्ष की अवधि (एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) देने की अनुमति देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। यदि फसल हानि 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो ऋण चुकाने के लिए पुनर्गठित अवधि को अधिकतम पांच वर्ष तक बढाया जा सकता है (एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित)।

ऋण वितरण

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV.6 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को यथासमय और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण में कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए किसानों को कम राशि का ऋण; एमएसएमई; कम लागत के घर के लिए ₹2.5 मिलियन तक ऋण और विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए ₹1 मिलियन तक ऋण; सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा; और अन्य कम आय समूह तथा समाज

के कमजोर वर्ग शामिल हैं। आम तौर पर लोगों/गतिविधियों के ये समूह, कथित व्यवहार्यता और ऋण पात्रता में कमी के कारण ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं, यद्यपि, इस दिशा में हाल में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं (बॉक्स - IV.2)।

बॉक्स IV.2
छोटे उधारकर्ताओं को बैंक ऋण : कुछ अंतर्दृष्टि

'छोटे उधारकर्ता' में 'छोटे' शब्द को समय-समय पर पुनर्परिभाषित किया जाता रहा है। वर्तमान में ₹200,000 की क्रेडिट सीमा वाले खातों को छोटे उधारकर्ता खाता (एसबीए) माना जाता है। एसबीए के लिए क्रेडिट सीमा वर्ष 1998 तक ₹25,000 और वर्ष 1983 तक ₹10,000 थी।

1990 से कुल ऋण खातों और राशि में एसबीए के हिस्से में गिरावट आई है (चार्ट 1 और 2)। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति एसबीए वास्तविक बैंक ऋण बढ़ गया है, जो शहरी क्षेत्रों के रुझान के विपरीत है (चार्ट 3)। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण के संबंध में भी लैंगिक असमानताओं में गिरावट देखी गई है। वर्ष 2015 में, औसतन, ग्रामीण पुरुषों के प्रत्येक 100 एसबीए की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के खातों की संख्या लगभग 32 थी। तथापि, इसके विपरीत, शहरी पुरुषों के प्रत्येक 100 खातों की तुलना में शहरी महिलाओं के ऋण खातों की संख्या केवल 16 थी। तीसरा, में शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं का प्रति व्यक्ति बैंक ऋण अनुपात भी बढ़ रहा है (चार्ट 4)।

यह, बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, शहरी गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरतों को रेखांकित करता है। शाखा नेटवर्क में विस्तार करने के साथ छोटे उधारकर्ताओं, जिसमें, झुग्गीवासी एवं घरेलू श्रमिक शामिल हैं, तक पहुंचने के लिए उनके अनुकूल प्लेटफार्म एवं उत्पाद भी बनाएं जाने की जरूरत है।

संदर्भ:

चार्ट 1: कुल बैंक खातों में एसबीए का हिस्सा

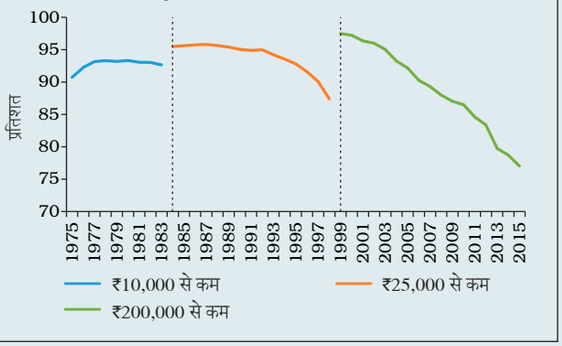

चार्ट 2: कुल बैंक ऋण में एसबीए का हिस्सा

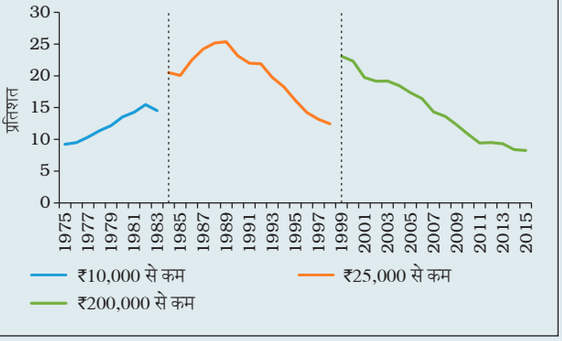

चार्ट 3: प्रति खाता वास्तविक राशि, एसबीए

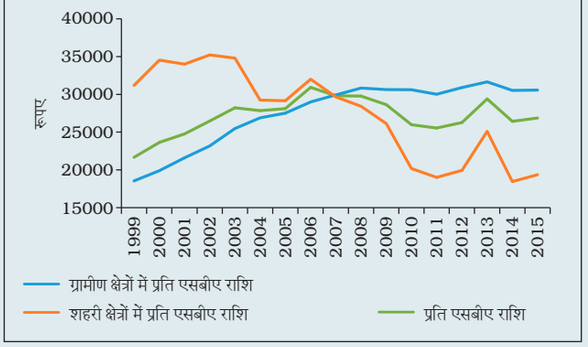

चार्ट 4: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में (एसबीए के अंतर्गत) प्रति व्यक्ति ऋण अनुपात

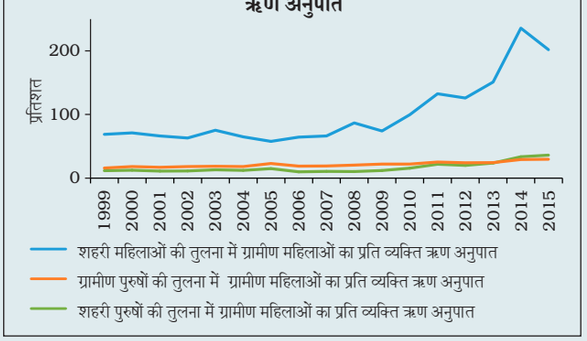

पल्लवी चव्हाण (2016): *'छोटे उधारकर्ताओं को बैंक ऋण: आपूर्ति और मांग-पक्ष संकेतक आधारित विश्लेषण'*, एक लेख।

सारणी IV.1 : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधी निष्पादन

(₹ बिलियन)

मार्च अंत	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2015	17,512 (37.3)	5,303 (42.8)	970 (35.9)
2016*	19,850 (39.3)	6,480 (44.1)	1,104 (35.3)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संगत समूह में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ओबीई) जो भी अधिक हो, की तुलना में प्रतिशत को दर्शाता है ।

* अनंतिम।

IV.7 विभिन्न बैंक समूहों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित निष्पादन सारणी IV.1 में दिया गया है।

कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह

IV.8 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के कार्य-निष्पादन की अगुवाई में, कृषि क्षेत्र में वास्तविक ऋण प्रवाह, सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा (सारणी IV.2)।

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

IV.9 एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार ने कई पहलों जैसे कि 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'व्यापार करने में आसानी' और 'उद्योग आधार' का शुभारंभ किया है जिनको रिज़र्व बैंक के प्रयासों जैसे कि फील्ड स्तर के बैंकिंग कर्मियों के क्षमता निर्माण, उद्योगों की आवश्यकता के समय-चक्र का समाधान और

सारणी IV.2: कृषि ऋण संबंधी लक्ष्य और प्राप्ति

(₹ बिलियन)

वर्ष	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		कुल	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-15	5,400	6,044	1,400	1,385	1,200	1,025	8,000	8,453
2015-16*	5,900	6,047	1,400	1,533	1,200	1,193	8,500	8,772

* : अनंतिम ।
स्रोत : नाबार्ड ।

सारणी IV.3: एमएसई को ऋण प्रवाह

वर्ष	खातों की संख्या (मिलियन)	बकाया राशि (₹ बिलियन)	एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
1	2	3	4
2014-15	13.8	9,612	15.5
2015-16 *	20.5	9,957	14.6

* अनंतिम।

एमएसएमई खातों में दबाव को कम करने के लिए सरल और तेज व्यवस्था उपलब्ध कराने से और बल मिला है और इससे पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र को ऋण देने में सुधार आया है। (सारणी IV.3).

ऋण वितरण मॉडलों की प्रभावकारिता का अध्ययन

IV.10 वर्ष के दौरान ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन की विभिन्न योजनाओं और मॉडलों - कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)- बैंक लिंकेज कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्योग ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) और अग्रणी बैंक योजना की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए कई अध्ययनों की शुरूआत की गई है। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के साथ मिलकर किसानों की ऋण आवश्यकताओं का अध्ययन भी किया जा रहा है।

IV.11 बीसी मॉडल की प्रभावकारिता पर किए गए अध्ययन से कारोबार प्रतिनिधियों के लिए प्रमाणपत्र-प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ उनको समय पर और पर्याप्त पारिश्रमिक के संबंध में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने, नकदी प्रबंधन के प्रभावी तरीके और स्वीकृति अवसंरचना और प्रौद्योगिकी में सुधार करने की आवश्यकता का पता चला। अध्ययन में बीसी पंजीयन और बैंकों द्वारा प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया। एसएचजी-बैंक लिंकेज की प्रभावकारिता पर किए गए अध्ययन से पता चला कि बैंक, दीनदयाल अंत्योदया योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत कार्य कर रहे बैंक मित्रों को बीसी एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं ताकि वे एसएचजी सदस्यों के साथ ही एक क्षेत्र विशेष में बैंकों के

अन्य ग्राहकों के लिए औपचारिक रूप से बैंकिंग कारोबार कर सके। अध्ययन में यह भी सिफारिश की गई है कि एसएचजी-बैंक लिंकेज गतिविधि को एक कारपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में लिया जाए। इसके अतिरिक्त, एसएचजी के सहयोग से बने प्रत्येक उत्पाद के लिए एक एसएचजी विशिष्ट चिह्न दिया जा सकता है। बीसी मॉडल का लाभ उठाते हुए आखिरी मील तक सेवा मुहैया कराने का एक संवर्ग बनाया जाए।

वित्तीय समावेशन

IV.12 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को पूरा करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। इस दिशा में, वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ समिति ने ऋण ढांचे के सुदृढ़ीकरण और सरकार द्वारा गरीबों को सामाजिक नकदी अंतरण को साधन के रूप में प्रयोग करके शासन प्रणाली में सुधार करने का सुझाव दिया है जिससे अर्थव्यवस्था मध्यावधि सुस्थिर समावेशन पथ पर अग्रसर होगी (बॉक्स IV.3)।

वित्तीय समावेशन योजना

IV.13 वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजनाओं के संबंध में बैंकों के वरिष्ठतम अधिकारियों की प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय समावेशन के लिए एक ढांचागत और योजनाबद्ध दृष्टिकोण प्रदान करती है। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान खोली गईं 2259 ग्रामीण बैंक शाखाओं में से 1670 शाखाएं वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों पर खोली गई थीं। मार्च 2016 तक लगभग 71 मिलियन आधारभूत बचत खाते खोले गए जिससे खातों की कुल संख्या 469 मिलियन हो गई। कुल छोटे फार्म सेक्टर (किसान क्रेडिट कार्ड) और छोटे गैर-

बॉक्स IV.3
वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ समिति

वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ समिति (अध्यक्षः दीपक मोहंती), जिसका गठन वित्तीय समावेशन के लिए एक मध्यावधि (पांच वर्ष) मापन योग्य कार्य योजना तैयार करने के लिए किया गया था, ने दिसंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने माना है कि वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक्सेस करने के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है, विशेषतः, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के शुभारंभ के बाद। समिति ने उपयोग, 'आखिरी मील तक' अपर्याप्त सेवा वितरण, महिला और छोटे एवं सीमांत किसानों के अपवर्जन और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कमतर औपचारिक संपर्क के संबंध में महत्वपूर्ण अंतरों को चिन्हित किया है। इस पृष्ठभूमि में, समिति ने वित्तीय समावेशन के लिए, मूलभूत औपचारिक वित्तीय उत्पाद एवं सेवा समूह का 'सुविधाजनक' एक्सेस के रूप में, एक अधिक वृहद् विजन निर्धारित किया है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों तथा कम आय वाले परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा के साथ किफ़ायती लागत पर बचत, धन-प्रेषण, ऋण, सरकार समर्थित बीमा और पेंशन उत्पाद मुहैया कराना शामिल होना चाहिए, जिसे क्रमिक रूप से सामाजिक नकदी अंतरण के जरिए पूरा किया जाए। समिति ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा औपचारिक वित्त के एक्सेस में वृद्धि करने के साथ-साथ लागत में कटौती करने तथा सेवा वितरण को बेहतर करने के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को बढ़ाने का सुझाव भी दिया है ताकि 2021 तक अब तक समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों का लगभग 90 प्रतिशत औपचारिक वित्त के जरिए आर्थिक प्रगति में सक्रिय हितधारक बन सकें।

समिति की कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. शिक्षा को बैंकिंग आदतों से जोड़ने की दृष्टि से लड़कियों के लिए ''सुकन्या शिक्षा'' कल्याण योजना।
2. आखिरी मील तक सुविधा मुहैया कराने के साथ-साथ उपयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी आधारित कम-लागत वाला उपाय।
3. ब्याज अनुदान योजना को चरणबद्ध तरीके से बंद करना और उस राशि को सार्वभौमिक फसल बीमा योजना में लगाना।
4. एक खुला विशेषीकृत ब्याज-मुक्त विंडो के साथ सरल उत्पाद, जैसे, मांग जमाएं, एजेंसी और सहभागिता प्रतिभूति, लागत सहित वित्तपोषण आधारित उत्पाद प्रस्तुत करना, आस्थगित भुगतान और आस्थगित वितरण संविदाएं।
5. एमएसएमई के लिए पेशेवर ऋण मध्यवर्तियों/सलाहकारों की एक प्रणाली की संभावना का पता लगाया जाना ताकि सूचनागत अंतर को कम करने में मदद मिल सके और इस प्रकार से बैंकों को ऋण के संबंध में बेहतर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना।
6. बीसी के लिए पंजीयन बनाने के जरिए बीसी प्रमाणन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
7. प्री-पेड लिखतों और मोबाइल लेनदेनों के लिए परस्पर- परिचालन योग्यता।
8. वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) नेटवर्क और शिकायत निपटान प्रणाली को सुदृढ़ करना और पारदर्शी मापदंडों पर आधारित एक योजना तैयार करना जो ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निपटान करने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करे।

फार्म सेक्टर का ऋण (सामान्य क्रेडिट कार्ड) क्रमशः 47 मिलियन और 11 मिलियन था (सारणी IV.4)। 31 मार्च 2016 को वित्तीय समावेशन योजना के चरण II (वर्ष 2013-16) की समाप्ति के साथ सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) को आगामी तीन वर्षों (अप्रैल 2016 से मार्च 2019) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नए एफआईपी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया था।

बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने की भावी योजना

IV.14 बैंकों को प्रारंभ में सूचित किया गया था कि वे 2,000 से कम जनसंख्या वाले सभी 490,298 बैंक रहित गांवों को कवर करने के लिए भावी योजना के चरण II को 31 मार्च 2016 तक पूरा कर दें। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन को देखते हुए समय-सीमा को 14 अगस्त 2015 तक बढ़ाया गया था। मार्च 2016 की समाप्ति पर, राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की रिपोर्ट के अनुसार 450,686 गांवों (लक्ष्य का 91.9 प्रतिशत) को 14,901 बैंक शाखाओं द्वारा, 415,207 गांवों को बीसी के माध्यम से और 20,578 गांवों को अन्य माध्यमों जैसे कि एटीएम और मोबाइल वैन से कवर किया गया। बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने और वित्तीय समावेशन के लिए भौतिक बैंक शाखाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखा रहित गांवों में ऐसी शाखाएं स्थापित करने के लिए दिसंबर 2015 में भावी योजना बनाई गई थी। एसएलबीसी संयोजक बैंकों को इस भावी योजना के अंतर्गत मार्च 2017 तक बैंक शाखाएं खोलने के लिए कहा गया था।

वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी)

IV.15 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन नीतियों की अनवरत आधार पर समीक्षा और रिज़र्व बैंक को इस मामले में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए वर्ष 2012 में एक सलाहकार निकाय, वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) की स्थापना की थी। भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने, पीएमजेडीवाई के अनवरत कार्यान्वयन और विभिन्न हितधारकों के प्रयासों की अभिरूपता की आवश्यकता के लिए एफआईएसी का जून 2015 में पुनर्गठन किया गया। इसके संशोधित विचारार्थ विषयों में : (i) प्रगति की निगरानी के अलावा

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन योजना - प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010 की समाप्ति पर	मार्च 2015 की समाप्ति पर	मार्च 2016 की समाप्ति पर
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं	33,378	49,571	51,830
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखारहित मोड	34,316	504,142	534,477
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - कुल	67,694	553,713	586,307
बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	96,847	102,552
बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	60	210	238
बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (₹ बिलियन में)	44	365	474
बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	13	188	231
बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (₹ बिलियन में)	11	75	164
बीएसबीडीए - कुल (संख्या मिलियन में)	73	398	469
बीएसबीडीए - कुल (₹ बिलियन में)	55	440	638
बीएसबीडीए में उपयोग की गई ओडी सुविधा (संख्या मिलियिन में)	0.2	8	9
बीसीएसबीडीए में उपयोग की गई ओडी सुविधा (₹ बिलियन में)	0.1	20	29
केसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	24	43	47
केसीसी - कुल (₹ बिलियन में)	1,240	4,382	5,131
जीसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	1	9	11
जीसीसी - कुल (₹ बिलियन में)	35	1,302	1,493
आईसीटी - ए/सी - बीसी - कुल अंतरण (संख्या मिलियन में)	26.5	477.0	826.8
आईसीटी - ए/सी - बीसी - कुल अंतरण (₹ बिलियन में)	6.9	859.8	1,686.9

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना, जिसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों और पीएमजेडीवाई के वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयासों में अभिरूपता लाना है (ii) एफआईपी की प्रगति की निगरानी; और (iii) वित्तीय साक्षरता की प्रगति की निगरानी, शामिल है।

वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ)

IV.16 वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) की स्थापना वर्ष 2007-08 में पांच वर्ष की अवधि हेतु प्रत्येक के लिए ₹5 बिलियन के फंड के साथ भारत सरकार, रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में अंशदान द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने एफआईएफ और एफआईटीएफ का विलय करके जुलाई 2015 में ₹20 बिलियन के फंड के साथ एकल वित्तीय समावेशन निधि का निर्माण किया। नया एफआईएफ, सरकार द्वारा गठित एक सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाएगा और यह नाबार्ड द्वारा अनुरक्षित होगा। यह निधि तीन और वर्षों के लिए या ऐसी अवधि तक परिचालन में रहेगी जिसका निर्धारण भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से किया जाएग। एफआईएफ का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली विकास और प्रचार गतिविधियों को सहायता प्रदान करना है, उदाहरण के लिए, देशभर में एफआई ढांचे का निर्माण करना, हितधारकों का क्षमता निर्माण, मांग पक्ष संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जागरूकता फैलाना, हरित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निवेश बढ़ाना और वित्तीय सेवाएं प्रदान/उपयोग करने वालों की प्रौद्योगिकीय अवशोषण क्षमता में सुधार करना। इस निधि का उपयोग सामान्य कारोबार/बैंकिंग गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।

वित्तीय साक्षरता

IV.17 वित्तीय समावेशन के प्रयासों की प्रभावकारिता में वित्तीय साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका है। बदलते वित्तीय परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में, विशेष रूप से पीएमजेडीवाई को लागू करने के साथ, नए बैंक खातों के परिचालन को सक्रिय रखने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। तदनुसार, बैंकों को जनवरी 2016 में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था: (i) सुदृढ़ वित्तीय साक्षरता अवसंरचना के लिए बोर्ड स्तर की नीतियां, (ii) वित्तीय साक्षरता के लिए अनुकूल दृष्टिकोण और अलग-अलग लक्ष्य समूहों के लिए कैंप आयोजित करना, और (iii) जिला/पंचायत/गांव स्तर (नाबार्ड के स्थानीय अधिकारियों और भारतीय रिज़र्व बैंक, जिला और स्थानीय प्रशासन, खंड स्तरीय अधिकारियों, एनजीओ, एसएचजी, बीसी, किसान क्लबों, पंचायतों, प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) और गांव स्तरीय कार्यकर्ताओं) के विभिन्न हितधारकों के बीच सम्मिलित दृष्टिकोण का पालन करना।

IV.18 मार्च 2016 के अंत में देश में 1,384 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) कार्य कर रहे थे जबकि यह संख्या मार्च 2015 के अंत में 1,181 थी। मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान एफएलसी द्वारा 87,710 वित्तीय साक्षरता गतिविधियों का आयोजन किया गया था जबकि गत वर्ष के दौरान 84,089 गतिविधियां आयोजित की गई थीं।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

IV.19 वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ते हुए, वित्तीय समावेशन मध्यावधि पथ समिति की सिफारिशों के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। समिति की तीन सिफारिशों, *यथा,* बीसी पंजीयन का निर्माण, बीसी के लिए प्रमाणपत्र-प्रशिक्षण कार्यक्रम को औपचारिक रूप देना; और ऋण परामर्शदाताओं को मान्यता देने के लिए रूपरेखा निर्धारित करने, को तत्काल कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति का निर्माण, जो एफआईएसी के संशोधित विचारार्थ विषयों का एक भाग है, वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। एफआईपी के अंतर्गत बैंकों की प्रगति के संबंध में जिला स्तरीय आंकड़े भी जुटाए जाएंगे ताकि वित्तीय समावेशन संबंधी बैंकों के प्रयासों की बेहतर निगरानी की जा सके। वित्तीय साक्षरता गतिविधियों पर जोर देने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के सहयोग से वित्तीय साक्षरता सलाहकारों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।